हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

प्राधिकरण की दिनांक 13 सितम्बर 2005 को सम्पन्न हुई सोलहवीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत

स्थानः– कैम्प कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दिनांकः 13 सितम्बर 2005

समयः अपराह्न 04:00 बजे

सुनियोजित विकास "आपकी आशा – हमारा ध्येय"

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की सोलहवीं बोर्ड़ बैठक दिनांक 13/09/2005 का कार्यवृत्त :

दिनांक 13/09/2005 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण बोर्ड की सोलहवीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

1	श्री मोहिन्दर सिंह	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2	श्री राजेन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड	उपाध्यक्ष
3	श्री एस. बी. तिवारी	अपर जिलाधिकारी, भू–अर्जन (सिंचाई) गाजियाबाद। (प्रतिनिधिः जिलाधिकारी, गाजियाबाद)	सदस्य
4	श्री राजपाल कौशिक	एसोसिएट प्लानर, मेरठ। (प्रतिनिधिः मुख्य ग्राम्य व नगर नियोजक, लखनऊ)	सदस्य
5	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार, मेरठ। (प्रतिनिधिः वित्त सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ)	सदस्य
6	श्री के0 वी0 शुक्ला	एसोसिएट प्लानर, एन. सी. आर. सेल, गाजियाबाद। (प्रतिनिधिः आयुक्त, एन. सी. आर. सेल, गाजियाबाद)	सदस्य
7	श्री बी0 डी0 गुप्ता	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर।	सदस्य
8	श्री कृपाल सिंह	अधीक्षण अभियंता, यू0 पी0 जल निगम, मेरठ	

अन्य विशेष रूप से आमन्त्रित

10	इं. एस0 एस0 वर्मा	प्रभारी सचिव, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़
11	श्री एस0 के0 गौतम	नगर नियोजक, गजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
9	श्री एस0 के0 शर्मा	जिला सूचना अधिकारी, सूचना विभाग, मेरठ
12	श्री वी0 के0 मांगलिक	चार्टर्ड एकाउण्टेंट, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

उपाध्यक्ष

राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

बैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार हैः–

मद सं.	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की पंद्रहवीं बोर्ड बैठक दिनांक 30/04/2005 की कार्यवाही की पुष्टि।	गत बोर्ड बैठक दिनांक 30/04/2005 की कार्यवाही की पुष्टि की गई।
2	प्राधिकरण की पंद्रहवीं बोर्ड बैठक दिनांक 30/04/2005 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	गत बोर्ड बैठक दिनांक 30/04/2005 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निम्न के अतिरिक्त अन्य मदों को अनुमोदित किया गया:– 1. मद सं0 4 – श्री अनिल भटनागर के स्थान पर समिति हेतु श्री के0 वी0 शुक्ला, सहयुक्त नियोजक को नामित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये। 2. मद सं0 10 – प्रकरण में हुए विलम्ब को देखते हुए निर्देशित किया गया कि पिलखुवा में सब्जी मण्डी व ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु डिमाण्ड सर्वे के साथ ही इनके लिये स्थल भी प्रस्तावित करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। 3. मद सं0 11 – बोर्ड को अवगत कराया गया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं मेरठ विकास प्राधिकरण की भांति वेतनमान दे दिया गया है, इसके संबंध में शासनादेश एवं मेरठ विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सन्दर्भों को अवलोकित कराया जाये, इसके बाद ही पुष्टि की जायेगी।

राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
भोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

		4. मद सं0 16 – अवगत कराया गया कि प्राधिकरण कार्यालय भवन में प्रथम तल पर कुछ भाग में अतिरिक्त निर्माण कराया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे प्राधिकरण के समस्त स्टाफ के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके एवं एक सभागार भी बनाया जा सके, जिसकी अनुमति प्रदान की गयी। 5. अतिरिक्त मद सं0 2 – श्री अनिल भटनागर के स्थान पर समिति हेतु श्री के0 वी0 शुक्ला, सहयुक्त नियोजक को नामित किया गया।
3	हापुड़–पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर दुकानों हेतु पार्किंग क्षेत्रफल के संबंध में।	प्रकरण के परीक्षण हेतु निम्न समिति गठित की गई:– 1. श्री राजपाल कौशिक, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, मेरठ सम्भागीय खण्ड, मेरठ। 2. श्री के0 वी0 शुक्ला, सहयुक्त नियोजक, एन0 सी0 आर0 सेल, गाजियाबाद। 3. श्री एस. एस. वर्मा, प्रभारी सचिव, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण। गठित समिति की आख्या के उपरान्त प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।
4	हापुड़–पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रयोग हेतु सड़क की चौड़ाई के संबंध में।	प्रकरण का पुनः परीक्षण मद सं0 03 हेतु गठित समिति द्वारा किया जाये एवं प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

उपाध्यक्ष
राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

5	अम्बार शुल्क, निरीक्षण शुल्क, सुदृढ़ीकरण शुल्क एवं विकास शुल्क की दरों को अद्‌यावधिक करने के सम्बंध में।	इस निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि मात्र दो श्रेणियां विकसित एवं अविकसित ही रखी जायें तथा आंशिक विकास कार्यों को अविकसित श्रेणी में माना जाये।
6.	प्राधिकरण के उपयोगार्थ एक एम्बेसडर कार, एक जीप (मिनी ट्रक) एवं ध्वस्तीकरण आदि की कार्यवाही हेतु एक जे0 सी0 बी0 क्रय किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7.	कृषि भू–उपयोग में विशेष अनुमति से अनुमन्य भू–प्रयोग के प्रकरणों के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8	श्री तुलाराम व श्री अतुल कुमार का हापुड–दिल्ली मुख्य मार्ग पर ग्राम डूहरी तहसील हापुड़ में पैट्रोल पम्प का मानचित्र स्वीकृत करने के संबंध में।	प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया गया कि विशेष अनुमति से अनुमन्य भू–उपयोग हेतु गठित समिति की आख्या दिनांक 12/09/2005 को प्राप्त हो गयी है, जिसे अतिरिक्त मद सं0 3 पर संलग्न किया गया है। अतः निर्णय अतिरिक्त मद सं0 3 पर लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष
राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

9	प्रस्तावित पिलखुवा महायोजना 2021 में संशोधन के संबंध में शासन से प्राप्त जनता के प्रत्यावेदनों के सम्बंध में।	प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि सम्बंधित प्रकरणों को शासन को संदर्भित किया जाये। चूंकि अभी पिलखुवा हेतु मास्टर प्लान लागू नहीं है, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं है।
10	श्री बांके बिहारी डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गांव मसूरी एच0 एच0 24 द्वारा किये गये निमार्ण को नियमित/शमन किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया कि चूँकि प्रश्नगत स्थल पर अभी कोई महायोजना प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं हैं, ऐसी स्थिति में स्पॉट जोनिंग की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस क्षेत्र की महायोजना शीघ्रातिशीघ्र तैयार करायी जाये, जिसमें प्रश्नगत डेन्टल कालेज से सम्बंधित स्थल को सामुदायिक सुविधायें भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने पर नियमानुसार विचार कर लिया जाये।
11	आनन्द विहार संयुक्त आवासीय योजना के संबंध में।	विचारोपरान्त निर्णय किया गया कि सर्वप्रथम योजना का ले–आउट तैयार कराया जाये, तदोपरान्त शासनादेश के कम में बल्क सेल में भूमि के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाये। पूर्व में बल्क सेल हेतु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कराये गये पंजीकरण की धनराशि को रिफन्ड कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष
राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

12	स्कूलों हेतु भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
13	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के सामने लघु/मध्यम उद्योगों को विकसित किये जाने हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
14	लेदर सिटी का प्रोजेक्ट बनाये जाने के संबंध में।	अवगत कराया गया कि सी0 एल0 आर0 आई0 के साथ–साथ अन्य कन्सलटेन्टस से भी विचार–विमर्श किया गया है। कन्सलटेन्टस द्वारा योजना की फण्डिंग हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। कन्सलटेन्ट नियुक्त करने हेतु निम्न समिति गठित की गयी– 1. श्री एस0 बी0 तिवारी, अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन (सिंचाई), गाजियाबाद। 2. श्री राजपाल कौशिक, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, मेरठ सम्भागीय खण्ड, मेरठ। 3. श्री एस. एस. वर्मा, प्रभारी सचिव, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण। समिति की आख्या प्राप्त करते हुये उपाध्यक्ष को कन्सलटेन्ट नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया।

उपाध्यक्ष

राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

मोहिन्दर सिंह
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

15	प्रीत विहार आवासीय योजना में आफताब एजूकेशन एण्ड सोशल वैलफेयर सोयायटी रजि0 द्वारा प्रस्तावित डी0 पी0 एस0 स्कूल मानचित्र स्वीकृति पर लिये जाने वाले बाहय विकास शुल्क की दर निर्धारण के संबंध में।	प्रकरण का पुनः परीक्षण मद सं0 14 हेतु गठित समिति द्वारा किया जाये एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से भी विचार–विमर्श उपरान्त समिति द्वारा आख्या प्रस्तुत की जाये, तदोपरान्त समिति की आख्या प्राप्त करते हुए सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
16	कृषकों की आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	अन्य शहरी विकास प्राधिकरण में ऐसी कोई नीति नहीं अपनायी जा रही है। अतः प्रस्ताव स्थगित किया गया।
17	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:–	
	अतिरिक्त मद सं0 – 01 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों को और सुदृढ़ किये जाने एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में संशोधन के सम्बंध में।	शासनादेश अंगीकृत किया गया।
	अतिरिक्त मद सं0 – 02 सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु मानक उपविधि।	शासनादेश अंगीकृत किया गया।

उपाध्यक्ष
राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
...सिंह

अतिरिक्त मद सं0 – 03

एजेण्डे की कार्य–सूची के मद सं0 8 के संबंध में।	गठित समिति की संस्तुति अवलोकित की गयी। समिति के दो सदस्य सहयुक्त नियोजक, एन0 सी0 आर0 सेल, गाजियाबाद तथा प्रभारी सचिव, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण बैठक में उपस्थित थे, जिनके द्वारा अपनी अनुशंसा दिनांक 12/09/2005 के कम में यह भी अवगत कराया गया कि संस्थागत हरित क्षेत्र के अतिरिक्त कृषि भू–उपयोग अथवा ग्रीन बैल्ट में भी पैट्रोल पम्प अनुमन्य है। इस पर विचार करते हुए पैट्रोल पम्प के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अंत में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(राजेन्द्र सिंह)	(मोहिन्दर सिंह)
उपाध्यक्ष	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ /
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण,
हापुड़	हापुड़
राजेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष	मोहिन्दर सिंह आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ